न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 12/2025 G.C.M.S. No. 2025/20 दर्ज दिनांक : 08.01.2025

अपीलार्थिगण:

1. प्रेमचंद पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 70 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. नेमाराम पुत्र सीमाराम, जाति माली, उम्र 65 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
2. मांगीलाल पुत्र कानाराम, जाति माली, उम्र 80 वर्ष, निवासी बेरा तेजसागर, नेहड़ा बेरा, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली।
3. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील सोजत, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 बअनवान प्रेमचंद बनाम नेमाराम वगैरह एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

उपस्थितः—

1. श्री धर्मीचंद देवासी, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांकः 04.06.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2016 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 बअनवान प्रेमचंद बनाम नेमाराम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि अपीलांट/वादी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोंडेंट/प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक संख्या दो तहसील सोजत में अपीलांट/वादी की खातेदारीशुदा, कब्जाशुदा व मालिकाना हक की कृषि भूमि खसरा संख्या 3223/3525 रकबा 2.0500 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल के संबंध में बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि सर्वथा न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है। मातहत अदालत की आदेशिका दिनांक 07.06.2016 के अनुसार प्रतिवादी 2 मांगीलाल की और से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे उपस्थित रहे तथा आदेशिका दिनांक 18.07.2016 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 नेमाराम उपस्थित हुआ तथा जवाबदावा मय प्रतिदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 तहसीलदार सोजत को बार–बार आवाजें दी गई, अनुपस्थिति दर्ज की गई। उसके पश्चात् दिनांक 07.10.2016 प्रतिवादी जवाब हेतु समय चाहते हैं। इस प्रकार मातहत अदालत की आदेशिका ही अपने आप में दूषित व विधिविरूद्ध अंकित की गई हैं। मातहत अदालत के द्वारा दिनांक 10.07.2017 को विधिविरूद्ध तरीके से प्राथमिक डिक्री पारित की गई हैं। क्योंकि वादी के विरूद्ध प्रतिवादी ने काउण्टर वाद प्रस्तुत कर रखा है, जो तनकीयात कायम कर साक्ष्य रेकर्ड पर लेकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है। उसके बावजूद भी वादी की सहमति के बिना बाले–बाले प्राथमिक डिक्री पारित कर भारी भूल की हैं। दिनांक 19.07.2017 को प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु पटवारी योगेश जी मौके पर आए तथा वास्तविक रिपोर्ट जो वादपत्र के संलग्न नक्शे के अनुसार मौके पर आकर तैयार कर मातहत अदालत में प्रस्तुत की, उक्त रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद थी, जिसे हटाकर मनमाने तरीके से नई रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय डिक्री कर भारी भूल की हैं। जिसकी आपत्ति भी प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा की गई। जिसका अंकन आदेशिका दिनांक 04.06.2019 में किया गया है। उसके पश्चात् दिनांक 30.09.2019 को पुनः आपत्ति पर बहस सुनी गई। इस प्रकार मौके पर विवाद होने, मौका रिपोर्ट के सम्बंध में विवाद होने की स्थिति में दुबारा प्राथमिक डिक्री की पालना नहीं की जा सकती है। मातहत अदालत को तनकीयात कायम कर साक्ष्य के अनुरूप निर्णय पारित करना चाहिए। लेकिन मातहत अदालत ने पुनः दुबारा प्राथमिक डिक्री जारी कर मनमाने रूप से पालना करवा कर गलत रिपोर्ट मंगवाकर वादी के अधिकारों के साथ कुठाराघात किया। पत्रावली पर तहसीलदार दीपक सांखला की मौका फर्द है। जिस पर पटवारी, आर.आई, तहसीलदार किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। इसके अलावा अन्य कोई रिपोर्ट पत्रावली पर नहीं होते हुए भी मनमाने तरीके से निर्णय/डिक्री पारित की गई हैं। मातहत अदालत की पत्रावली पर कहीं पर सहमति व वाद डिक्री करने हेतु हस्ताक्षर आदेशिका पर नहीं हैं। वादी को बिना सुने ही डिक्री पारित की हैं तथा काउण्टर वाद के संबंध में भी किसी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया गया है। मातहत अदालत के द्वारा वादी को सुने बिना ही वादपत्र मनमाने तरीके से दिनांक 16.10.2024 को विधिविरूद्ध निर्णय व डिक्री कर दिया जिसकी सूचना भी नहीं दी गई। अपीलान्ट के द्वारा जब ऑनलाईन जमाबंदी प्राप्त की तो सम्पूर्ण जानकारी दिनांक 30.12.2024 को प्रथम बार हुई तथा दिनांक 30.12.2024 को ही नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसकी नकल दिनांक 31.12.2024 को प्राप्त हुई तथा शीतकालीन अवकाश हुए। जिसके कारण अपील में सद्भाविक देरी हुई, इसलिए यह अपील धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के विरूद्ध वादग्रस्त सहखातेदारी भूमि के बंटवाड़ा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.10.2024 को निर्णित व अंतिम डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 07.01.2025 को प्रस्तुत की गई। जोकि 22 दिवस के विलंब के साथ प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि अपीलांट वृद्ध व्यक्ति है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की उन्हें समय पर जानकारी नहीं हो पाई। दिनांक 30.12.2024 को ऑनलाईन जमाबंदी देखने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अल्प विलंब निहित है। साथ ही अपीलांट द्वारा जानबूझकर या लापरवाही से विलंब कारित किया जाना साबित नहीं होता है। साथ ही हमारे विनम्र मत में प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल युक्तियुक्त व सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अपीलांट्स द्वारा मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि प्रकरण में तहसीलदार सोजत द्वारा अपीलांट्स को सूचित किए बिना व अपीलांट्स की गैर–मौजूदगी में मौके पर गए बिना विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर त्रुटि कारित की हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर दिए बिना व अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत काउण्टर वाद पर निर्णय दिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें।
4. अधीनस्थ विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार सोजत द्वारा प्रकरण में सहखातेदारान को मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उपस्थित रहने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किए गए। विभाजन प्रस्ताव में अंकित नोटिस क्रमांक एवं दिनांक का स्थान रिक्त छोड़ा हुआ है। इससे यह पुष्टि होती हैं कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण अपीलांट्स सहखातेदारान को मौके पर उपस्थित होने बाबत निर्धारित स्थान व समय से अवगत कराने के लिए कोई सूचना जारी नहीं की गई।

5. राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं विहित प्रारूप के अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में संबंधित तहसीलदार द्वारा सभी संबंधित सहखातेदारान को सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर मौके पर ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर विहित प्रारूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है। अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार सोजत द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों व निर्देशों की अनुपालना नहीं की गई हैं तथा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करते समय उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर गौर नहीं कर कानूनन भूल की हैं। अतः हमारे विनम्र मत में ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पुष्टियोग्य नहीं हैं।

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त करते हुए प्रकरण में तहसीलदार सोजत से नियमानुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया जाकर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट्स अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 41/2016 बअनवान प्रेमचंद बनाम नेमाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.10.2024 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की अनुपालना में तहसीलदार सोजत द्वारा सभी सहखातेदारान को विधिवत सूचित करते हुए स्वयं मौके पर उपस्थित रहकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं इसकी अनुपालना में विभाजन के प्रकरणों में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की अनुपालना करवाते हुए विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 14.07.2025 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर सोजत में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली